उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-24/390/एक-1-2015-5(42)/2015

लखनऊ: दिनाँक: 17 मार्च, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या- प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनाँक 01 जुलाई 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनाँक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गई थी, पुनर्ग्रहण करते हुए रेलवे विभाग, भारत सरकार को डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मिर्जापुर	सदर	कंतित	बरकछा कलॉ	7ख	0.5604	लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए भारत सरकार को डेडीकेटेड फ्रेंट कारीडोर रेल परियोजना हेतु।
2					25	0.0649	
3					2155	0.1355	
4					1961	0.0230	
5					2035	0.0070	
6					1956	0.0130	
7					1949	0.0200	
8					1942	0.0040	
9					1680	0.0420	
10					1704	0.0378	
11					1686	0.0140	
12					1726	0.0010	

shasnadesh.up.nic.in

13					470	0.0030	
14					468	0.0130	
15					414	0.0260	
16					1440	0.0030	
17					32	0.0265	
18					479	0.0510	
19					553	0.0250	
20					554	0.0100	
21					575	0.0320	
22					548	0.0390	
23					549	0.0060	
24					1438	0.0030	
25					1544	0.2690	
26					1688	0.0128	
27					1645	0.0080	
28					1700	0.0090	
29					2149	0.0670	
30					2256	0.3393	
31				योग	कुल 30 गाटा	कुल 1.8652 हे0	

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-390(1)/ एक-1-2015-5(42)/2012, तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, मिर्जापुर को उनके पत्र संख्या-941/जि0भू0व्यव0लि0/2013-14/डे0फे0को0 परियोजना-पुनर्ग्रहण, दिनाँक 22.09.2014 के सन्दर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि

-3-

shasnadesh.up.nic.in

वह इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. यह भी अपेक्षित है कि राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-258/16(1)-73-रा0-1, दिनॉक 09 मई, 1984 के अनुसार पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि कुल 30 गाटा रकबा 1.8652 हे0 का वर्तमान प्रचलित बाजार दर पर आंकलित मूल्य तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा0-1, दिनॉक 14-09-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया लेखाशीर्षक "0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वॉछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा रेलवे विभाग, भारत सरकार को दिया जायेगा। प्रश्नगत भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी।

3. डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना की स्थापना के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा- चकमार्ग, सडक, मुख्य मार्ग व रास्ता की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि चकमार्ग, सडक, मुख्य मार्ग व रास्ता की भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त ही ग्रामवासियों के आवागमन एवं नाला, नाली व नहर के माध्यम से हो रहे पानी के नैसर्गिक बहाव एवं सिंचाई की व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा। पथरीली की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि उक्त भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। रेलवे विभाग, भारत सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा। शासनादेश संख्या-963/एक-1-2004-1-1(10)/2002-15-रा0-1, दिनॉक 30.06.2004 के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी।

4. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4787/2001 हिन्च लाल तिवारी बनाम कमला देवी आदि में पारित आदेश दिनॉक 25.07.2001 में तालाब, पोखरों एवं जलाशयों तथा अन्य जल प्रणालियों के वर्तमान स्वरूप को अपरिवर्तित बनाये रखने के आदेश दिये गये हैं। शासनादेश संख्या-915/एक-1-2006, दिनॉक 06.06.2006 द्वारा तालाब, पोखरों एवं धौला आदि का पुनर्ग्रहण नहीं किये जाने के निर्देश हैं अर्थात् उनके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन न किया जाये। डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर रेल परियोजना की स्थापना के व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए नदी की भूमि के पुनर्ग्रहण की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मा0 सर्वोच्च

-4-

shasnadesh.up.nic.in

न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुरूप नदी के प्राकृतिक स्वरूप को परिवर्तित नहीं करेंगे बल्कि पूर्व की भॉति नदी का स्वरूप एवं जल संचयन की क्षमता बनाये रखेंगे और उसे अपने व्यय पर खुदाई कराकर और गहरा करायेंगे। यूपीडा नदी पर ड्रेन/पुल/पुलिया का निर्माण कराते हुए नैसर्गिक जल प्रवाह एवं प्राकृतिक स्वरूप को यथावत बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।

4- जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-390(2)/एक-1-2015-5(42)/2012 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- आयुक्त, मिर्जापुर मण्डल ।
4- मुख्य परियोजना प्रबन्धक, डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया 117/एच-2 राधा भवन, पाण्डु नगर, कानपुर ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in